

129

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

नियोजक
कमरा: 415
दिनांक: 21/11/14

क्रमांक प.3(20)नविनि/3/2014

जयपुर, दिनांक 25 NOV 2014

अधिसूचना

राजस्थान नगरीय क्षेत्र में भू-उपयोग परिवर्तन, 2010 के नियमों के नियम 16 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा "राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2014" के अन्तर्गत विधिमान्य पात्रता प्रमाण पत्र धारण कर रहे उद्यम (उद्यमों) की स्थापना के लिये भू-उपयोग परिवर्तन की स्थिति में उक्त नियमों के अन्तर्गत देय भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क (change of land use charge) में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(अशोक जैन)

अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव (प्रथम) माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
5. आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. संभागीय आयुक्त (समस्त) राजस्थान।
7. जिला कलेक्टर, (समस्त) राजस्थान।
8. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय एवं शासन उप सचिव-प्रथम/द्वितीय, नगरीय विकास विभाग।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को उक्त अधिसूचना विभागीय देवसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
12. मुख्य नगर नियोजक, नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. सचिव, नगर सुधार न्यास, (समस्त) राजस्थान।
14. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय भुदण्डालय, जयपुर को उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रति मय साफ्ट कॉपी के प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिसूचना का राजपत्र के असाधारण अंक के आगामी दिनांक में प्रकाशित कराकर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
15. समस्त अधिकारीगण, नगरीय विकास विभाग।
16. रक्षित पत्रावली।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

2 get the
copies and
circulate to all
officials

03/12

(310)